

Pr. implen
24/9

ईमेल: caodlb@gmail.com

टेलीफोन एवं फेक्स न. -0141-2223074, 22223403

राजस्थान सरकार,

निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडन्सी ऐरिया स्कीम, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर-16

क्रमांक-प.6()लेखा/एसबीएम/डीएलबी/2018-19/ 19680

दिनांक 20 9 18

:: स्वीकृति आदेश ::

राज्य की विभिन्न नगर परिषदों/नगर पालिकाओं को वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्राम) के Solid Waste Management (SWM) में कुल राशि रुपये 2425.00 लाख (अठारह सौ रुपये बाँसठ लाख पच्चीस लाख मात्र) का आवंटन करते हुए उक्त योजना हेतु निदेशालय स्तर पर आईसीआईसीआई बैंक में सफायेत बैंक खाते से नीचे सूची में बर्णितानुसार नगर निकायों को इस प्रयोजनार्थ सम्बन्धित निकाय के खाते गये बैंक खाते में निम्नानुसार राशि हस्तांतरण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है-

(राशि रु. लाखों में)

S. No.	Name of ULB	Activity Head-SWM		
		Gov Share (75%)	Gov Share (25%)	Total (4+5)
1	2	3	4	5
1.	अलवर	150.00	50.00	200.00
2.	बालोतरा	56.25	18.75	75.00
3.	बयाना	112.50	37.50	150.00
4.	भीलवाड़ा	150.00	50.00	200.00
5.	बूंदी	75.00	25.00	100.00
6.	दोसा	112.50	37.50	150.00
7.	डीग	30.00	10.00	40.00
8.	धीलपुर	150.00	50.00	200.00
9.	फतेहपुर	45.00	15.00	60.00
10.	गंगापुर सिटी	97.50	32.50	130.00
11.	हनुमानगढ़	135.00	45.00	180.00
12.	हिंडीन सिटी	75.00	25.00	100.00
13.	शुङ्गनू	60.00	20.00	80.00
14.	करौली	75.00	25.00	100.00
15.	खेडली	22.50	7.50	30.00
16.	कोटपूतली	37.50	12.50	50.00
17.	महुआ	22.50	7.50	30.00
18.	मकराना	75.00	25.00	100.00

E:\desktop 2018\paliwal g\paliwal ji all letter.docx

M

15

S. No.	Name of ULB	Activity Head-SWM		
		GoI Share (75%)	GoR Share (25%)	Total (4+5)
1	2	3	4	5
19.	नवलगाव	45.00	15.00	60.00
20.	राजाखेला	60.00	20.00	80.00
21.	रावतगाव	37.50	12.50	50.00
22.	संगरिया	60.00	20.00	80.00
23.	वेर	37.50	12.50	50.00
24.	नसीरागाव	60.00	20.00	80.00
25.	झालरापाटन	37.50	12.50	50.00
	योग	1818.75	606.25	2425.00

उक्त राशि का आवंटन वर्धित निकायों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली डीपीआर के संस्थापन किया जा रहा है। आवंटित की गई राशि का उपयोग स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत केंद्र सरकार एवं विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार नियमानुसार किया जावे। किसी भी स्थिति में अन्य प्रतिविधियों में उपयोग नहीं किया जावे। इस हेतु पृथक से लेखांकन सुनिश्चित किया जावे। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012/नियम-2013 एत सुसंगत वित्तीय नियमों/राज्य सरकार के निर्देशों की पालना पूर्ण रूप से की जाय।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:-प.6()लेखा/एसबीएम/डीएलबी/2017-18/

दिनांक 20-7-18

प्रतिलिपि:- अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :- 19680-727

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, जातिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
3. अपर सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
4. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं इक) / (लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय) राज0 जयपुर।
5. निजी सचिव, राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, राज0 जयपुर।
6. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर।
7. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
8. मुख्य अभियंता, निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि आवंटित राशि का उपयोग सभी निकायों द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुसार कराय जाना सुनिश्चित करायें।
9. शाखा प्रबन्धक, आई.टी.आई.सी. बैंक लिमिटेड, राजामार्ग शाखा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि स्वीकृति आदेश में वर्णित समस्त नगर निकायों को बैंक खाते में अतिरिक्त राशि जमाकर लेख को सुनिश्चितता करे।
10. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
11. आयुक्त/अधिसूत्री अधिकारी, तालिका में वर्णित अनुसार समस्त।
12. प्रमारी वेब साईट, निदेशालय/सम्बन्धक, सीएमएआर को वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
13. सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय (गुप्तान शाखा) निदेशालय को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि स्वीकृति में वर्णित राशि सम्बन्धित नगर निकाय के बैंक खाते में अतिरिक्त जमाकर लेख को सुनिश्चितता करे।
14. बजट शाखा/अक.मि.त.न. शाखा।
15. सुरक्षित पत्रावली।

(हुलास राधे पवार)
मुख्य लेखाधिकारी